

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजसद, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0 ए0 एस0

उनवान


1. धूमगोहन पुत्र धामीराम बनाम 1. धामीराम पुत्र वीर बल जाहि
जाहि जाहे नि० महारवेडा जाहि जाहे नि० महारवेडा जाहि
दावा बाबत :- 80 पंजाब
मुकदमा नम्बर :- 18/2020
निर्णय दिनांक :- 08.12.21

वादी की ओर से वकील रमणींद्र शारिवात की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील मुन्शीराम गोदामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08.12.21 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही गौजा चम 19 AMड के खता म० 32/33 के मु० न० 43 के खिता न० 8, 9, 12, 13, 14, 17 ता 19, 22 ता 24 कुल 2.783 हे० जिसमें प्रतिवादी म० 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजाच रिमंडि में दर्ज है - उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी म० 1 धामीराम श्री बजाच वादीगण व प्रति० म० 1 ~~मुन्शीराम~~ श्री वडिस्ता वरावर के अनुसार खतेदार अष्टचार धीरि जाहेज प्रतिवादी म० 2 ता 3 ने अपना हिस्सा वारीगण व प्रति० म० 1 के पत्र में लागू कर चुका है. धामीराम जाहेज गते हिस्से पर पंजीपत्र शुरू करा करने व हवि भूमि वें उ के रदन है तो रदन मुक होने पर उपरोक्त अनुसार वारीगण धूमगोहन, विनोद कुमार पि० धामीराम व प्रति० म० 1 धामीराम श्री वडिस्ता वरावर के अनुसार खतेदार दर्ज कर राजाच रिमंडि दर्ज किया जावे। धामीराम श्री डीही का भाग पका जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


श्रीमति शकुन्तला चौधरी
(आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़